RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 22/2025 **GCMS NO:- 2025/140**

अपीलांटगण–

1. श्री गंगाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी आईनाथ नगर तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री पुनमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार, निवासी आईनाथ नगर, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाटोदी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/09 दिनांक 17.03.2025 जो तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जेठुलाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.12.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पाटोदी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/09 दिनांक 17.03.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.08.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा आईनाथ नगर पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पाटोदी, के खेत मूल खंसरा संख्या 3530 रकबा 0.0324 हैक्टयर व खसरा संख्या 3531 रकबा 12.0272 हैक्टयर (वर्तमान खसरा संख्या 3530, 3824/3531, 3825/3531, 3826/3531, 3827/3531) के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.04.2025 को तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/09 दिनांक 17.03.2025 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2025 को प्रस्तुत की गई।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 की पैतृक भुमि मौजा आईनाथ नगर पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पाटोदी, के खेत मूल खसरा संख्या 3530 रकबा 0.0324 हैक्टयर व खसरा संख्या 3531 रकबा 12.0272 हैक्टयर (वर्तमान खसरा संख्या 3530, 3824/3531, 3825/3531, 3826/3531, 3827/3531) में अवस्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 दोनों सगे भाई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 पूनमाराम एवं उनके पुत्रों ने अपीलांट को कहा कि दोनों भाईयों के जीवन काल में ही अपनी उपरोक्त पैतृक एवं पुस्तौनी कृषि भूमि का सहमति पूर्वक विभाजन करवा देते है। अपीलकर्ता ने अपने सगे भाई पूनमाराम व उनके पुत्रों पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा करते हुए सहमति पूर्वक बंटवारा करवाने की मौखिक सहमति प्रकट कर दी। उसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं उनके पुत्रों ने स्थानीय हल्का पटवारी से मिलकर अपीलाधीन खसरान की भूमि का सहमति पूर्वक विभाजन करवाने के लिए उपरोक्त दस्तावेज तैयार करवा दिये। रेस्पोडेंट संख्या 01 व उसके पुत्र द्वारा हल्का पटवारी को अपने अनुचित प्रभाव एवं पक्ष में लेकर अपनी इच्छा एवं सुख सुविधा अनुसार अपीलाधीन खसरों की भूमि का विभाजन पत्र तैयार करवाकर उसके उपर अपीलांट के अंगूठा निशान करवाकर उसे रेस्पोडेंट संख्या 02 श्रीमान तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जिसके आधार पर तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आलीच्य आदेश पारित किया गया। अपीलांट एक 70 वर्षीय बुर्जग एवं अनपढ व्यक्ति हैं उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है तथा उन्होंने अपने सगे भाई पूनमाराम एवं उनके पुत्रों पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन खसरान की भूमि के विभाजन बाबत तैयार किये गये कागजातों पर अपने अंगुष्ठ निशान लगवा दिये तथा अपीलाधीन खसरों की भूमि का अपनी स्वंय की सुख सुविधा एवं इच्छा अनुसार विभाजन करवा दिया तथा समस्त समतल एवं उपजाउ तथा कृर्षि योग्य भूमि की अपने हक व हिस्से में अलग तरमीम करवा दी तथा बंजर एवं अकृर्षि योग्य बडे–बडे रेतीले धोरो व टीलों वाली भूमि की अपीलांट के नाम से तरमीम करवा दी। साथ ही रास्ते के लिये भी अनुपयोगी तथा दुर्गम भूमि वाले भू भाग पर रास्ते की तरमीम करवा दी जहां मौके पर बड़े बड़े रेत के धोरे व टीले अवस्थित है एवं खतरनाक ढलान व चढाई भी है, जिससे अपीलकर्ता को अपने घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। अपीलांट के कब्जे काश्त वाली कृषि योग्य भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिस्से में दर्ज हो गई है तथा बड़े–बड़े रेतीले धोरों वाली बंजर एवं अकृर्षि योग्य भूमि अकेले अपीलकर्ता के खाते में दर्ज हो गई है। यदि विश्वासघात करके करवाई गई अपीलाधीन खसरों की भूमि की गलत तरमीम को दुरस्त या संशोधित नहीं किया गया तो अपीलकर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कभी भी नहीं हो पायेगी। अपीलाधीन मूल खसरा संख्या 3530 व 3531 मौजा आईनाथ नगर पटवार

जिला कलक्टर
बालोतरा

हल्का पाटोदी, तहसील पाटोदी की भूमि का सहमति पूर्वक बंटवारा एवं विभाजन करने से पूर्व राजस्व विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा एक बार भी मौके पर जाकर भूमि का मौका मुआयना नहीं किया गया तथा केवल जमाबंदी एवं नक्शें के आधार पर रकबा एवं दिशा तय करके नक्शें में तरमीम कर दी गई, जो कि अव्यवहारिक एवं अन्यायोचित है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 2 ने मौका कब्जा की जांच नहीं किया गया तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश बहाल रखते हुए पुनः नये सिरे से मौके की स्थिति अनुसार विभाजन करने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेंट संख्या 1 को इस प्रकरण के अपील में अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जवाब/कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा आईनाथ नगर, पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पाटोदी, के खेत मूल खंसरा संख्या 3530 रकबा 0.0324 हैक्टयर व खसरा संख्या 3531 रकबा 12.0272 हैक्टयर (वर्तमान खसरा संख्या 3530, 3824/3531, 3825/3531, 3826/3531, 3827/3531) के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.04.2025 को तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/09 दिनांक 17.03.2025 पारित किया गया। अपीलांट की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। अपीलांट अनपढ़ व्यक्ति होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका तथा विभाजन आवेदन तहसीलदार पाटोदी से तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट की ढाणी, बाड़े इत्यादि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं तथा अपीलांट के पक्ष में अनुपजाउ भूमि रखी गई है। जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। रेस्पोडेंट्स संख्या 01 बावजूद नोटिस तामील सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स की ओर से किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना उनकी मौन स्वीकृति प्रतीत होती हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं एवं उल्लेखित परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाटोदी द्वारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/09 दिनांक 17.03.2025, को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार पाटोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा आईनाथ नगर, पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पाटोदी, के खेत मूल खंसरा संख्या 3530 रकबा 0.0324 हैक्टयर व खसरा संख्या 3531 रकबा 12.0272 हैक्टयर (वर्तमान खसरा संख्या 3530, 3824/3531, 3825/3531, 3826/3531, 3827/3531) के मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति एवं वास्तविक कब्जा–काश्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बालोतरा
बालोतरा